कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/दिशा–निर्देश/2022–23/ दिनांक 19.09.2022

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर
दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, करौली, पाली

विषयः– पूरक आरटीई दिशा–निर्देश सत्र 2022–23 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रतिवर्ष गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–01 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश लिये जाते है। शासन के आदेश क्रमांक पं.8(5) शिक्षा–5/आरटीई दिशा–निर्देश 2022–23/2022 जयपुर दिनांक 20.04.2022 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–01 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश लिये गये थे परन्तु कुछ विद्यालय जिनके द्वारा उक्त आदेशों के क्रम में निःशुल्क प्रवेश नहीं दिये गये, में प्रवेश हेतु निम्न टाईमफ्रेम जारी किया जाता है। इस टाईमफ्रेम के अनुसार प्रवेश से वंचित पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयों में संबंधित क्षेत्र के दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है निम्न विद्यालयों प्रवेश हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित किये जायेगे।

Sr.No	District	School Name	विवरण	शैक्षिक सत्र 22–23 आरटीई सीटस
1	AJMER	VEER TEJA PUBLIC SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 22 है।	7
2	ALWAR	IDEAL ACADEMY SR SEC SCHOOL KHAIRTHAL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 01 है।	1
3	ALWAR	SADIYA PUBLIC SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 06 है।	2
4	ALWAR	SARSWATI SR. SEC SCH PINAN	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 04 है।	2
5	ALWAR	MOHANI DEVI UPPER PRIMARY SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 05 है।	2
6	BARMER	JAMIYA ISLAMIYA PUBLIC SCH.MITHEKA TALA	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 08 है।	3

7	BIKANER	SEVA ASHRAM	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 11 है।	4
8	DAUSA	PRASASVI SC UPS BANDIKUI	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 28 है।	10
9	GANGANAGAR	SEEMA JAN VIDHYA MANDIR	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 03 है।	1
10	JAIPUR	GEETANJALI SR.SEC. SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 01 है।	1
11	JAIPUR	BHAKAR BAL VIDHYA MANDIR	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 09 है।	3
12	JAIPUR	St. Stephen Secondary School	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 20 है।	7
13	JAIPUR	SUN MOON PUBLIC SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 12 है।	4
14	JAIPUR	PADAM SHRI BAL VIDHALAYA	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 1 है।	1
15	JAIPUR	JAY SHREE PERIWAL SEC. SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 45 है। निःशुल्क 04	12
16	JODHPUR	SRAJAN ACADEMY SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 47 है।	16
17	KARAULI	ST. FRANCIS DE SALES SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 18 है।	6
18	PALI	MEERA MEMORIAL UPPER PRIMARY SCHOOL	कक्षा 01 में सशुल्क छात्रों की संख्या 03 है।	1

संलग्नः— पूरक दिशा—निर्देश सत्र 2022—23

(द्वारिका प्रसाद)
सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत पूर्व में प्रवेश से वंचित गैर–सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, के लिए पूरक दिशा–निर्देश

(सत्र 2022–23 से प्रभावी)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रतिवर्ष गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–01 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश लिये जाते है। शासन के आदेश क्रमांक पं.8(5) शिक्षा–5/आरटीई दिशा–निर्देश 2022–23/2022 जयपुर दिनांक 20.04.2022 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा–01 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश लिये गये थे परन्तु कुछ विद्यालय जिनके द्वारा उक्त आदेशों के क्रम में निःशुल्क प्रवेश नहीं दिये गये, में प्रवेश हेतु निम्न टाईमफ्रेम जारी किया जाता है। इस टाईमफ्रेम के अनुसार प्रवेश से वंचित पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयों में संबंधित क्षेत्र के दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है

प्रवेश का टाईम फ्रेमः–

राज्य के प्रवेश से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिनांक 20.09.2022	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	20 सितम्बर 2022 से 27 सितम्बर 2022 तक	संबंधित अभिभावक
3	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	29 सितम्बर 2022	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	29 सितम्बर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक	अभिभावको द्वारा
5	आवेदन पत्रो की जांच करना (प्रथम चरण)	29 सितम्बर 2022 से 06 अक्टूबर 2022 तक	गैर सरकारी विद्यालय
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों जांच नहीं किये जाने पर auto verfication	07 अक्टूबर 2022	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	विद्यालय द्वारा आवेदन को Correction /reject किये जाने की शिकायत सीबीईओ/जिशिअ कार्यालय में करना।	29 सितम्बर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक	अभिभावकों द्वारा
7	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	29 सितम्बर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक	अभिभावको द्वारा
8	विद्यालय द्वारा संशोधित आवेदनो की पुनः जांच करना	29 सितम्बर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक	गैर सरकारी विद्यालय
9	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना।	14 अक्टूबर 2022	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

नोटः
क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **"विज्ञापन जारी करना"** के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया एक ही चरण में आयोजित की जायेगी, शेष शर्तें मूल आरटीई दिशा–निर्देश 2022–23 के अनुसार रहेगी। जो विभागीय वेबसाईट www.rajpsp.nic.in पर उपलब्ध है। मूल दिशा–निर्देशों से द्वितीय चरण की रिपोर्टिंग को विलोपित किया जाता है। जानकारी के लिये अभिभावको व विद्यालयों द्वारा इनका अध्ययन किया जा सकता है।